संख्या- /2016/ /पांच-6-2016-33(बजट)/12टी0सी0-2

प्रेषक

अवधेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 20 सितम्बर, 2016

विषय:-वित्तीय वर्ष 2016-17 में मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं अधीनस्थ कार्यालय जनपद फर्रूखाबाद के भवन निर्माण हेतु पी0एफ0ए0डी0 द्वारा मूल्यांकित पुनरीक्षित लागत के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 15.14 लाख अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-9561/17फ/नि0नि0अ0/2016-17, दिनांक 11.08.2016 तथा शासनादेश संख्या-621/पांच-6-2013-33(बजट)/12, दिनांक 30.03.2013 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 30.03.2013 द्वारा जनपद फर्रूखाबाद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं अधीनस्थ कार्यालय भवन निर्माण कार्य की रू0 170.27 लाख मूल स्वीकृति निर्गत की गयी। तदोपरान्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं अधीनस्थ कार्यालय के भवन निर्माण कार्यों को पूर्ण कराये जाने के लिए पी0एफ0ए0डी0 द्वारा धनराशि रू0-224.62 लाख मूल्यांकित की गयी है।

2. अतएव पी0एफ0ए0डी0 द्वारा मूल्यांकित लागत के आधार पर प्रश्नगत मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं अधीनस्थ कार्यालय के भवन निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने हेतु कुल रू0 224.62 लाख (रूपया दो करोड़ चौबीस लाख बासठ हजार मात्र) की पुनरीक्षित प्रशासनिक तथा प्रश्नगत निर्माण कार्यों हेतु पूर्व में स्वीकृत धनराशि को समायोजित करते हुए अन्तर की कुल धनराशि रू0 54.35 लाख के सापेक्ष सुसंगत मद में उपलब्ध धनराशि में से रू0 15.14 लाख (रू0 पन्द्रह लाख चौदह हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं :-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

(1) वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.2016 तथा संख्या-621/पांच-6-2013-33(बजट)/12, दिनांक 30.03.2013 में उल्लिखित दिशा निर्देशों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा उक्त धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाक खाते में कदापि नहीं रखी जायेगी।

(3) पी0एफ0ए0डी0 की शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत निर्माण कार्य समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करके ही आरम्भ किया जायेगा।

(5) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप विभाग/कार्यदायी संस्था द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।

(6) पी0एफ0ए0डी0 द्वारा लागत का आंकलन प्रस्तावित मात्राओं को यथावत मानते हुए मात्र दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/विभाग का होगा।

(7) भारत सरकार के नोटिफिकेशन संख्या-9/2016-सर्विस टैक्स दिनांक 01 मार्च, 2016 के अनुसार दिनांक 01.03.2015 से पूर्व के स्वीकृत कार्य, चाहे इन कार्यों की लागत पुनरीक्षित की गयी हो तथा 01 मार्च, 2015 के उपरान्त धनराशि प्राप्त हुयी हो, पर सर्विस टैक्स की देयता नहीं है। जिसके क्रम में प्रभाग द्वारा सर्विस टैक्स की धनराशि अनुमन्य नहीं की गयी है।

(8) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुए लागत का आंकलन किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, ड्राइंग एवं डिजाइन में परिवर्तन, अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यो की तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थित में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर प्रशासकीय विभाग द्वारा 03 माह के अन्दर समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा। विभाग द्वारा इस आशय का उल्लेख सम्बन्धित स्वीकृति आदेश में सम्मिलित किया जायेगा।

(9) प्रभाग द्वारा प्रायोजना की लागत का आकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। प्रभाग का मत है कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त् करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय। प्रभाग का यह भी मत है कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो इसे विभाग अपने स्तर से सुनिश्चित करेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

(10) प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी विभाग की होगी।

(11) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु निर्गत की जा रही है उसका नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(12) कार्यदायी संस्था द्वारा प्रश्नगत निर्माण कार्य को निर्धारित समयावधि के अन्दर पूर्ण कर विभाग को हस्तगत कर दिया जायेगा तथा इस हेतु उन्हें भविष्य में कोई लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं की जायेगी।

3. उक्त धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-32-लेखाशीर्षक-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-01 शहरी स्वास्थ्य सेवायें-110-अस्पताल तथा औषधालय-17-मुख्य चिकित्साधिकारी एवं अधीनस्थ कार्यालय/ अपर निदेशक कार्यालय भवन का निर्माण-24 वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22.03.2016 के द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(अवधेश कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

संख्या-245/2016/2022 (1)/पांच-6-2016, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
4. अपर निदेशक (नियोजन/बजट/अधिशासी अभियन्ता) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उ0प्र0, लखनऊ।
5. संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
6. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, फर्रूखाबाद।
7. अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
8. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, फर्रूखाबाद।
9. प्रबन्ध निदेशक/संबंधित परियोजना प्रबन्धक, राजकीय निर्माण निगम, उ0प्र0 लखनऊ।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
11. कार्यालय आदेश पुस्तिका।
12. प्रशासकीय स्वीकृति की एक प्रति मूल पत्रावली में। /दि0 m.c.c.r. हेतु/

आज्ञा से

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या- /2016/ /पांच-6-2016-48(निर्माण)/16

प्रेषक

अवधेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 28 सितम्बर, 2016

विषयः-वित्तीय वर्ष 2016 - 17 में जनपद सहारनपुर के कुल 06 सामु0स्वा0केन्द्रों में निर्माणाधीन 06 नग रोगी आश्रय स्थलों के भवन निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के लिए पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-9705/17फ/नि0नि0अ0/2016-17, दिनांक 23.08.2016 तथा शासनादेश संख्या-53/2015/262(2)/पांच-6-15-30(बजट)/13 दिनांक 27.02.2015 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न तालिका के कालम-2 में उल्लिखित विवरणानुसार शासनादेश दिनांक 27.02.2015 द्वारा जनपद सहारनपुर के सामु0स्वा0केन्द्रों में कुल 06 नग रोगी आश्रय स्थल के भवन निर्माण कार्यों की मूल स्वीकृति निर्गत की गयी तथा कालम-3 में अंकित विवरणानुसार प्रश्नगत रोगी आश्रय स्थल के भवन निर्माण के लिए स्वीकृत लागत के सापेक्ष धनराशि अवमुक्त की गयी। उक्त निर्माणाधीन रोगी आश्रय स्थलों के भवन निर्माण कार्यों को पूर्ण कराये जाने के लिए पी0एफ0ए0डी0 द्वारा संलग्न तालिका के कालम-4 में अंकित विवरणानुसार पुनरीक्षित लागत मूल्यांकित की गयी है।

2. अतएव पी0एफ0ए0डी0 द्वारा मूल्यांकित लागत के आधार पर प्रश्नगत 06 नग रोगी आश्रय स्थलों के भवन निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने हेतु संलग्न तालिका के कालम-04 में अंकित विवरणानुसार कुल रू0 182.34 लाख (रूपया एक करोड़ बयासी लाख चौतीस हजार मात्र) की पुनरीक्षित प्रशासनिक तथा प्रश्नगत निर्माण कार्यों हेतु पूर्व में स्वीकृत धनराशि को समायोजित करते हुए कालम-5 में अंकित विवरणानुसार अवशेष कुल धनराशि रू0 53.98 लाख (रू0 तिरपन लाख अट्ठानबे हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं :-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

(1) वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.2016 तथा शासनादेश दिनांक 14.08.2013 में उल्लिखित दिशा निर्देशों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा उक्त धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाक खाते में कदापि नहीं रखी जायेगी।

(3) पी0एफ0ए0डी0 की शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत निर्माण कार्य समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करके ही आरम्भ किया जायेगा।

(5) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप विभाग/कार्यदायी संस्था द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।

(6) पी0एफ0ए0डी0 द्वारा लागत का आंकलन प्रस्तावित मात्राओं को यथावत मानते हुए मात्र दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/विभाग का होगा।

(7) पी0एफ0ए0डी0 द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, जिसमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(8) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की डूप्लीकेसी को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(9) प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी विभाग की होगी।

(10) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु निर्गत की जा रही है उसका व्यय/उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा। इससे इतर व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता माना जायेगा।

(11) कार्यदायी संस्था द्वारा प्रश्नगत निर्माण कार्य को निर्धारित समयावधि के अन्दर पूर्ण कर विभाग को हस्तगत कर दिया जायेगा तथा इस हेतु उन्हें भविष्य में कोई लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं की जायेगी।

3. उक्त धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-32-लेखाशीर्षक-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-104 सामु0स्वा0केन्द्र-11 सामु0स्वा0केन्द्रों पर रोगी आश्रय स्थल के भवनों का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

4. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22.03.2016 के द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(अवधेश कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

संख्या-246/2016/2100 (1)/पांच-6-2016, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
4. अपर निदेशक (नियोजन/बजट) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उ0प्र0, लखनऊ।
5. संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
6. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, सहारनपुर।
7. अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
8. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सहारनपुर।
9. प्रबन्ध निदेशक, पैकफेड, लखनऊ।
10. संबंधित परियोजना प्रबन्धक, पैकफेड, सहारनपुर।
11. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
12. कार्यालय आदेश पुस्तिका।
13. प्रशासकीय स्वीकृति की एक प्रति मूल पत्रावली में।

आज्ञा से

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश संख्या- 246 /2016/2100 /पांच-6-2016-48(निर्माण)/16 तद्दिनांक 28 सितम्बर, 2016

का संलग्नक

(रू0 लाख में)

क्र0 सं0	प्रायोजना का नाम	पूर्व में स्वीकृत लागत/ अवमुक्त धनराशि	स्वीकृत की जा रही पुनरीक्षित प्रशासनिक लागत (पी0एफ0ए0डी0 द्वारा मूल्यांकित लागत)	स्वीकृत की जा रही शेष धनराशि (4-3)
1	2	3	4	5
1	सामु0स्वा0केन्द्र नकुड़ जनपद सहारनपुर के रोगी आश्रय स्थल का भवन निर्माण।	26.52	30.15	03.63
2	सामु0स्वा0केन्द्र पुवारका जनपद सहारनपुर के रोगी आश्रय स्थल का भवन निर्माण।	26.52	30.34	03.82
3	सामु0स्वा0केन्द्र गंगोह जनपद सहारनपुर के रोगी आश्रय स्थल का भवन निर्माण।	11.14	30.06	18.92
4	सामु0स्वा0केन्द्र सुनेहटी खरखड़ी जनपद सहारनपुर के रोगी आश्रय स्थल का भवन निर्माण।	11.14	30.28	19.14
5	सामु0स्वा0केन्द्र हरौड़ा जनपद सहारनपुर के रोगी आश्रय स्थल का भवन निर्माण।	26.52	30.04	03.52
6	सामु0स्वा0केन्द्र बेहट जनपद सहारनपुर के रोगी आश्रय स्थल का भवन निर्माण।	26.52	31.47	04.95
	योग	**128.36**	**182.34**	**53.98**

(रूपया तिरपन लाख अट्ठानबे हजार मात्र)

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या- /2016/ /पॉच-6-2016-29(नि0)/13

प्रेषक

अवधेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ ।

चिकित्सा अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 19 सितम्बर, 2016

विषय:-वित्तीय वर्ष 2016-17 में जनपद हरदोई में 100 शैयया संयुक्त चिकित्सालय के निर्माण हेतु रू0-464.86 लाख की चालू अंश के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-9536/17फ/नि0नि0अ0/2016-17, दिनांक 08.08.2016 तथा शासनादेश संख्या-243/2016/1991/पांच-6-2016-29(नि0)/13 दिनांक 26.09.2016 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 26.09.2016 द्वारा जनपद हरदोई में 100 शैयया संयुक्त चिकित्सालय के भवन निर्माण कार्य के लिये रू0-3475.20 लाख की केवल पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है।

2- अतएव आपके प्रस्तावानुसार उक्त शासनादेश दिनांक 26.09.2016 द्वारा स्वीकृत लागत के अन्तर्गत जनपद हरदोई में 100 शैयया संयुक्त चिकित्सालय के निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के लिये रू0-464.86 लाख (रूपया चार करोड़ चौंसठ लाख छियासी हजार मात्र) की पुनरीक्षित प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति, निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.16 तथा शासनादेश संख्या-243/2016/1991/पांच-6-2016-29(नि0)/13 दिनांक 26.09.2016 में उल्लिखित दिशा निर्देशों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा उक्त धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाक खाते में कदापि नहीं रखी जायेगी।

शेष शर्ते शासनादेश संख्या-243/2016/1991/पांच-6-2016-29(नि0)/13 दिनांक 26.09.2016 की यथावत रहेगी।

3- उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-32 लेखा शीर्षक-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-01 शहरी स्वास्थ्य सेवायें-110-अस्पताल तथा औषधालय-72-100 शैयया युक्त चिकित्सालयों की स्थापना-24 वृहत् निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

4- उक्त स्वीकृति वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.16 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत की जा रही है।

भवदीय

(अवधेश कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

संख्या-247 /2016/2395 (1)/पॉच-6-2016, तददिनांक

प्रतिलिप निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ ।
4- अपर निदेशक (नियोजन/बजट) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उ0प्र0, लखनऊ।
5- संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ।
6- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, हरदोई ।
7- अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ ।
8- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरदोई ।
9- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, हरदोई ।
10- परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, हरदोई ।
11- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/ नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन ।
12- कार्यालय आदेश पुस्तिका।
13- प्रशासकीय स्वीकृति की एक प्रति मूल पत्रावली में।
14- विभागीय वेब मास्टर।

आज्ञा से

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
उप सचिव।

संख्या- /2016/ /पांच-6-16-9(निर्माण)/14

प्रेषक,

अवधेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

चिकित्सा अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक 20 सितम्बर, 2016

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्राथ0स्वा0केन्द्र, नावला, जनपद मुजफफरनगर के भवन निर्माण हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षण अभियन्ता के पत्र संख्या-9125/17फ/नि0नि0अ0/2016-17, दिनांक 13-07-2016 तथा शासनादेश संख्या-415(2)/पांच-6-14-9(नि0)/14, दिनांक 04.03.2014 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्राथ0स्वा0केन्द्र, नावला, जनपद मुजफफरनगर के भवन निर्माण हेतु रू0-137.45 लाख (रूपया एक करोड सैंतीस लाख पैंतालिस हजार मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति व रू0-68.72 लाख (रूपया अड़सठ लाख बहत्तर हजार मात्र) की प्रथम किश्त की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.16 तथा शासनादेश संख्या-415(2)/पांच-6-14-9(नि0)/14, दिनांक 04.03.2014 की व्यवस्थानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(2) मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा निर्माण इकाई के सक्षम अधिकारी द्वारा एम0ओ0यू0 निष्पादित किया जायेगा और निर्माण इकाई को उक्त धनराशि एम0ओ0यू0 निष्पादित होने पर ही उपलब्ध करायी जायेगी।

(3) उपलब्ध कराये गये प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(4) निर्विवाद रूप से नियमानुसार भूमि उपलब्ध होने के बाद ही धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

(5) अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाक खाते में कदापि नहीं रखी जायेगी।

(6) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना में शामिल नहीं है तथा इस हेतु किसी अन्य स्रोत से वित्त पोषण नहीं प्राप्त है अथवा किया जायेगा।

(7) निर्माण अवधि में प्रस्तावित परियोजना के स्कोप डिजाइन/ड्राइंग में परिवर्तन शासन की अनुमति के बिना न किया जाय।

(8) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि संलग्न सूची में वर्णित समस्त पी0एच0सी0 सामान्य योजना से आच्छादित है। इनके लिये एस0सी0एस0पी0 तथा टी0एस0पी0 अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि की व्यवस्था नहीं की गयी है।

(9) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृतियों की पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

(10) प्रस्तावित कार्यों का व्यय स्वीकृति आगणनों की सीमा तक ही किया जायेगा तथा अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अधिक अनधिकृत व्यय नहीं किया जायेगा। साथ ही चालू वर्ष की देनदारी अगले वर्ष के लिये कदापि नहीं छोड़ी जायेगी।

(11) कार्य की भौतिक प्रगति एवं गुणवत्ता से संतुष्ट होने पर एवं कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्परीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जाय।

(12) उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(13) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उन्हीं कार्यों/मदों पर किया जायेगा, जिसके लिये स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता माना जायेगा।

(14) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सैंटेज चार्ज लिया जायेगा।

(15) आगणन में वर्णित एक प्रतिशत लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

2- उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-32 लेखा शीर्षक-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-02 गामीण स्वास्थ्य सेवायें-103-प्राथ0स्वा0केन्द्र-06-नये प्राथ0स्वा0केन्द्रों के भवनों का निर्माण-24 वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.16 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अवधेश कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव

संख्या-948 /2016/ 1757 (1)/पॉच-6-2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(3) जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, मुजफफरनगर ।
(4) अपर निदेशक (नियोजन/बजट)/अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उ0प्र0, लखनऊ।
(5) वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ ।
(6) संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ ।
(7) मुख्य चिकित्साधिकारी, मुजफफरनगर ।
(8) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड (पैकफेड), लखनऊ ।
(9) संबंधित परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड (पैकफेड), सहारनपुर ।
(10) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4/ चिकित्सा अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(11) कार्यालय आदेश पुस्तिका ।
(12) गार्ड फाइल।
(13) विभागीय वेबमास्टर ।

आज्ञा से

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in